कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(2)/लेखा/MWM/2020/376 दिनांक :– 21.02.22

–: निविदा सूचना :–

वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार इस कार्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में मानव संसाधन की सेवायें (विद कम्प्यूटर) लेने हेतु वार्षिक दर संविदा की जानी है। निविदा की अनुमानित लागत 150000/–रूपये है। अतः इच्छुक फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.02.2022 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन दोपहर बाद 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र 200/–रूपये शुल्क देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत सूचना http//:sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(आकाश रंजन)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(2)/लेखा/MWM/2020/377-78 दिनांक :– 21-02-2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(आकाश रंजन)
सहायक आयुक्त (प्रथम),
देवस्थान विभाग, जयपुर

28.2.2022

1550
2-3-22

E/computer Operator

ANEXURE-1

निविदादाता द्वारा निविदा की दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत करनी है।

क. सं.	कार्य की प्रगति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (राशि रूपयों में)	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (राशि रूपयों में)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर विद कम्प्यूटर	उच्च कुशल	326		तत्समय प्रचलित दर अनुसार	तत्समय प्रचलित दर अनुसार		

Annexure-2

बोलीदाता को विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्राफोर्मा में अंकित कर निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता के हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर।

E/computer Operator

निविदा की शर्तें

1. निविदा में दरें संलग्न Annexure-1 में संलग्न प्रपत्र अनुसार ही अंकित करनी है।
2. निविदादाता द्वारा Annexure-2 की पूर्ति की जानी आवश्यक है।
3. बोलीदाता (Bidder) द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान अनुबंधित श्रमिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम 1970/संशोधित अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है तो बोलीदाता द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा, यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तद्नुसार वचन पत्र (Under Taking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है। इसके लिये सफल बोलीदाता को 50/—रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम 1970/संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तद्नुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण पत्र की प्रति उपापन संस्था को उपलब्ध करवा दी जावेगी।
4. निविदा वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिये अथवा उपापन संस्था के निर्णय के अधीन रहेगी।
5. निविदादाता से दिन प्रतिदिन कार्यालय समय के साथ, कार्यालय समय के बाद अथवा राजपत्रित अवकाशों में भी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें ली जा सकती है।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना दिये गैर हाजिर नही रह सकेगा। उसकी गैर हाजिरी में अनुबन्धकर्ता को शीघ्र ही दूसरे अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर (उच्च कुशल) की व्यवस्था करनी होगी। ऑपरेटर की गैर हाजिरी पर देय राशि में से 500/—रूपये प्रतिदिन की दर की कटौती कर जी जावेगी तथा उसकी गैर हाजिरी के कारण कार्यालय का कोई कार्य यदि अन्य किसी फर्म से करवाना पड़ा हो तो उसकी लागत भी निविदादाता से वसूल की जावेगी।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर यदि विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा/अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है।
8. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. भुगतान मासिक रूप से महीना समाप्ति के पश्चात् संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर नियमानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया से किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा। विवाद की दशा में न्यायालय का क्षेत्र जयपुर होगा।
11. निविदादाता को विभाग द्वारा किये जाने वाले भुगतान में से केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कटौतियां की जावेगी।
12. इस निविदा के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 अनुसार समस्त शर्ते लागू होगी।

13. निविदा में भाग लेने हेतु अमानत राशि के रूप में 3000/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है तभी उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।
14. उक्त निविदा वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)वित्त/ एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 तथा वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा समय समय पर MWM के सम्बन्ध में जारी आदेशों/परिपत्रों के अधीन रहेगी।
15. सफल निविदादाता को वित्त (बजट) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 9(1)FD–1(1)BUD/2004 जयपुर दिनांक 28.07.2008 में अंकित SPECIFICATIONS के आधार पर उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर व UPS उपलब्ध करवाना होगा।
16. निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात् सात कार्यालय दिवस में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा।
17. **सफल निविदादाता** को निविदा लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के समय जमा करवानी होगी। इस राशि में अमानत राशि के रूप में जमा 3000/–रूपये की राशि का समयोजन किया जा सकेगा। असफल निविदादाताओं की अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुबन्ध पश्चात लौटा दिया जायेगा।
18. निविदा का निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से 200/– रूपये शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र आनलाईन अपलोड़ करने की दशा में बोलीदाता द्वारा 200/–रूपये निविदा शुल्क के रूप में निर्धारित समयावधि में कार्यालय में जमा करवाने होगे इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
19. निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.02.2022 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिये। इस अवधि व समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता..

मो./दूरभाष नं0..................................

E/computer Operator